भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3688

(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए)

कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा

3688. श्री अरुण गोविल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारें तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रतिवर्ष अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रतिवर्ष उनकी संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त करते हैं और इस ब्यौरे की तुलना उनके द्वारा गत वर्ष दिए गए उनकी संपत्ति के ब्यौरे से की जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार और उपक्रमों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो समय पर अपनी वार्षिक संपत्ति का ब्यौरा देने में विफल रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिनकी संपत्ति का मूल्य पिछले दो वर्षों की उनकी आय की तुलना में अधिक पाया गया है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 और अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में, सरकारी कर्मचारियों को अपने संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति पर अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण देना और तत्पश्चात वार्षिक आधार (अनुगामी वर्ष की अधिकतम 31 जनवरी तक) पर अचल संपत्ति का विवरण (आईपीआर) देना अपेक्षित है। कतिपय उद्देश्यों के लिए, उन सरकारी सेवकों को सतर्कता अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी, जो निर्धारित समय के भीतर आईपीआर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों के संबंध में भी समान प्रावधान मौजूद हैं।

इसके अतिरिक्त, अगर चल संपत्ति में लेन-देन का मूल्य, सरकारी कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक होता है, तो उसे उसकी जानकारी निर्धारित प्राधिकारी को देनी अपेक्षित होती है। उक्त नियमों और अन्य दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने पर, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है। इसके अलावा, अगर सरकारी सेवक के पास उसकी आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा असमानुपाती परिसम्पत्तियां पायी जाती हैं, तो उसके विरुद्ध विद्यमान नियमों में यथासंकल्पित जांच प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात, सेवा से निष्कासन अथवा पदच्युति की बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुशासनात्मक कर्रवाई शुरू की जा सकती है।

*****